न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 78/2012 (223 आरटीए) लूणाराम वगै. बनाम हजारीराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2012/00004)

1 लुणाराम पुत्र श्री मोतीराम,

2 मंगलाराम पुत्र श्री चोलाराम जाति मेघवाल, निवासी बागोरिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 हजारीराम पुत्र श्री फुसाराम,

2 चंदाराम पुत्र श्री फुसाराम,

3 कोयली पत्नी स्व. श्री फुसाराम,

4 मांगीलाल पुत्र रावतराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण बागोरिया, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

5 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भोपालगढ़।

6 प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, बिलाड़ा जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 30.09.2003 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 09/2001

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार।

2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।

3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 रेस्पो. सं. 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के राजस्व वाद सं. 09/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2003 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश

13/11 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

किया एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 09/2001 पेश किया कि ग्राम बासनी खेड़ा तहसील भोपालगढ़ की सीमा में खसरा नं. 119, 120, 121, 122 कुल रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 100, 101, 103 कुल रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वादीगण स्व. फुसाराम के पत्र हैं वादी सं. 3 उनकी पत्नी है। तथा वादी सं. 4 स्व. फुसाराम का भाई है। खाता सं. 44 में दर्ज 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्तमान प्रतिवादी सं. 1 व अन्य भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है। खाता सं. 44 की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं वादी सं. 4 का 1/2 हिस्सा है। इसी माफिक काबिज हैं। शेष खसरा नं. 100, 101, 103 कुल 3 खसरों की 19 बीघा 19 बिस्वा पर वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 2 के साथ काबिज है। जिसमें वादीगण सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का है। इसी प्रकार वक्त बंदोबस्त से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 काबिज हैं। तथा काश्त करते आ रहे हैं प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में कोई हक उज्र ऐतराज व हिस्सा आज दिनांक तक नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व अधिकारियों की भूलवश खसरा नं. 199 से 122 कुल 25 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 1 अकेले का नाम एवं खसरा नं. 100, 101 व 103 के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 की गलत वल्दियत दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दोषपूर्ण इन्द्राज कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 पीथाराम का पुत्र नहीं है वह उनका पौत्र है एवं मोतीराम जी का पुत्र है। राजस्व रिकार्ड में दोषपूर्ण इन्द्राज वादीगण के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर हैं। लगान वादीगण ही अदा करते आ रहे हैं कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार अधिकार उत्पन्न हो गये हैं राजस्व रिकार्ड में दोषपूर्ण इन्द्राज की आढ़ में प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के खातेदारी हकूकों को इन्कार कर इस भूमि को बेचान करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहा है। दिनांक 20.11.2000 को प्रतिवादी सं. 1 ने ऐलानिया कहा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि को खाली कर दे अन्यथा अन्य किसी को बेचान कर देंगे। इसलिये यह घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अंत में दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की स्वयं दिनांक 11.01.2002 को मय अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत उपस्थित हुये। उसके पश्चात उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 की

उपस्थिति के अभाव में दिनांक 19.07.2002 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद किया गया। वकील वादी ने वाद के विचारण के दौरान प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश कर सचिव/प्रबंधक भूमि विकास बैंक बिलाड़ा को पक्षकार बनाये जाने के निवेदन पर पक्षकार बनाया गया। बैंक की ओर से बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात की आवश्कता नहीं रही। प्रकरण में बहस वादी अधिवक्ता की सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2003 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विधान, संचिका, न्याय के विपरीत तथ्यों के विपरीत, वास्तविकता से परे तथा गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय डिक्री पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है। वाद की सुनवाई का कोई नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अन्य वाद संख्या 11/96 में प्रतिवादी के जो अधिवक्ता थे उनकी उपस्थिति वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण की ओर से दर्ज कर दी गई। प्रस्तुत वर्तमान वाद विधि वर्जित होने से काबिल चलने के ही नहीं था। वादीगण द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इसी आशय का एक वाद इसी अनुतोष के साथ पेश किया गया था जो वाद सं. 175/94 दिनांक 06.06.2001 को खारिज हो गया। वादी ने उपरोक्त तथ्य को छुपाते हुए नया दावा पेश किया एवं बाला-बाला डिक्री जारी कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के जरिए कृषि भूमि में बिना किसी वैध हस्तांतरण पत्र के खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण हुआ। प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार शुरू से रहे हैं, वादीगण को उपरोक्त भूमि में कोई टेनेंसी अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुए इन परिस्थितियों में उनको वर्तमान वाद में कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए खातेदार घोषित किया ही नहीं जा सकता था। उपरोक्त कारणों से भी अपीलाधीन डिक्री व निर्णय निरस्त करने योग्य

है। विवादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज चोलाराम व मोतीराम के नाम दर्ज रही है वादी के पिता अथवा दादा के नाम कभी भी कोई इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं रहा, इन परिस्थितियों में उन्हें खातेदारी अधिकार जब कानूनन अर्जित ही नहीं हुए तो उनके पक्ष में कोई घोषणा की ही नहीं जा सकती थी। विचारण न्यायालय ने केवल वादीगण के जबानी कथन को आधार मानकर फैसला कर दिया। कोई दस्तावेजी शहादत वादी द्वारा पेश नहीं की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वादीगण को उपरोक्त भूमि में कोई खातेदारी अधिकार अर्जित होना माना ही नहीं जा सकता।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलांट्स को नहीं मिला एवं न उन्होंने कोई वकील मुकर्रर किया। इस कारण अपीलार्थीगणों को इस अपीलाधीन डिक्री व निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थीगणों ने दिनांक 01.06.2012 को विवादग्रस्त भूमि के जमाबंदियों की नकलें ली क्योंकि उन्हें भूमि पर बैंक से ऋण लेना था तो उसमें अपीलार्थी संख्या 1 का नाम जमाबंदी से गायब हुआ मिला तथा एक खाते में अपीलांट सं. 2 के साथ 1/2 भाग में रेस्पो. सं. 1 से 4 का नाम दर्ज किया हुआ था। जरिए अधिवक्ता नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 12.06.2012 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का भी निवेदन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि वादीगण सगे भाई हैं। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त कृषि भूमि काका के नाम चढ़ गई थी। पूरा लगान वादीगण के द्वारा अदा किया है। पैतृक हक से ही वादग्रस्त भूमि वादीगण को मिली है। अपीलांट नं. 2 मंगलाराम अधीनस्थ न्यायालय में गवाह के रूप में पेश हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का गलत निर्णय पारित नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 1/अपीलांट सं. 1 दिनांक 11.01.2002 को उपस्थित हुआ। प्रतिवादी की प्रोपर तामील जरिए बेटी हुई है वह बेटी के यहां आया हुआ था व उसी नियत दिनांक को तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ।

13/11 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रतिवादी के मूलसिंह वकील थे। अपीलांट ने धारा–5 का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उनमें उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं हैं। अपीलांट्स ने 9 वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं किया क्योंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की नहीं थी। अपीलांट ने मात्र वादी रेस्पोडेंट्स पक्ष को परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। इस प्रकरण में मौका कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। मौका कमिश्नर ने भी अपीलांट को सूचित किया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसीडिंग में अपीलांट ने बराबर भाग लिया। दावे के तथ्यों को इन्कार नहीं किया गया, स्वयं मंगलाराम अपीलांट गवाह के रूप में पेश हुआ है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी थी 9 साल तक अपील नहीं की अतः अपील मियाद बाहर है तथा इसी बिंदु पर अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जो तथ्य आदेश 41 नियम 27 के जरिए अपीलांट कोर्ट में उठाए जा रहे हैं वे अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाये गये थे इसलिए अपीलांट को अपील में उठाने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट की ओर से इस अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के साथ वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं जो प्रमाणित प्रतिलिपि हैं जिन्हें रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाये हैं अतः अपीलांट कोर्ट में नहीं उठाये जा सकते तदनुसार प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि हैं तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है एवं संबधित दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं।

यह अपील देरी से पेश हुई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2003 की है तथा अपील दिनांक 23.07.2012 को पेश की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलांट्स को नहीं मिला एवं न उन्होंने कोई वकील मुकर्रर

13/11
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

किया। इस कारण अपीलार्थीगणों को इस अपीलाधीन डिक्री व निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थीगणों ने दिनांक 01.06.2012 को विवादग्रस्त भूमि के जमाबंदियों की नकलें ली क्योंकि उन्हें भूमि पर बैंक से ऋण लेना था तो उसेने अपीलार्थी संख्या 1 का नाम जमाबंदी से गायब हुआ मिला तथा एक खाते में अपीलांट सं. 2 के साथ 1/2 भाग में रेस्पो. सं. 1 से 4 का नाम दर्ज किया हुआ था। जरिए अधिवक्ता नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 12.06.2012 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई व जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का भी निवेदन किया।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1/अपीलांट सं. 1 दिनांक 11.01.2002 को उपस्थित हुआ। प्रतिवादी की प्रोपर तामील जरिए बेटी हुई है वह बेटी के यहां आया हुआ था व उसी नियत दिनांक को तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। प्रतिवादी के मूलसिंह वकील थे। अपीलांट नं. 2 मंगलाराम अधीनस्थ न्यायालय में गवाह के रूप में पेश हुआ है।

9 धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि हस्तगत प्रकरण में अपील पेश करने में हुई देरी के लिए अपीलांट ने जो कारण प्रार्थना पत्र में दर्शाया है वह वास्तविक तथ्यों से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट सं. 1 लूणाराम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2001 की तारीख पेशी के सम्मन ग्राम बागोरिया तहसील भोपालगढ़ के पते पर भेजे थे जो इस नोट के साथ अदम तामील वापस प्राप्त हुआ कि आसामी लूणाराम ग्राम बागोरिया में स्थाई रूप से निवास नहीं करता है वह अपनी बेटी के पास ग्राम नांदिया तहसील ओसिंया में रहता है। इसके पश्चात दिनांक 11.01.2002 की तारीख पेशी के सम्मन पुनः भेजे गए तो वे सम्मन उसकी बेटी सुशीलादेवी से तामील हुआ तथा तदनुसार प्रतिवादी सं.1/अपीलांट सं. 1 नियत दिनांक 11.01.2002 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इस प्रकार अपीलांट को उसकी पुत्री के मार्फत सम्मन तामील होना प्रमाणित होता है क्योंकि यदि सम्मन तामील नहीं होता तो नियत तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता। इसके अलावा प्रकरण में अपीलांट सं. 2 मंगलाराम की ओर से दिनांक 08.08.2003 को साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन इसी प्रकरण में शपथ पत्र पेश किये गये हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा दिनांक 01.06.2012 को विवादग्रस्त भूमि के जमाबंदियों की नकलें ली तब इस

13/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण से संबंधित निर्णय व डिक्री की जानकारी होना विश्वसनीय, समुचित एवं युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अपील पेश करने में लगभग 9 वर्ष की देरी की गई है। अपीलार्थीगण का स्वयं का दायित्व था कि वे अपने प्रकरण की प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होकर प्रकरण में होने वाली कार्यवाही की जानकारी रखे। इससे अपीलार्थीगण की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है। लापरवाह पक्षकार के नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए प्रत्येक दिन का युक्ति युक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण अपने केस के प्रति सजग नहीं रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण नहीं बता पाया है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई 9 वर्ष की देरी को माफ नहीं किया जा सकता एवं धारा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने खारिज किया जाता है। तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने खारिज की जाती है।

13/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 13.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2012/00004)

अपील संख्या 78/2012

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.लुणाराम पुत्र श्री मोतीराम 2.मंगलाराम पुत्र श्री चोलाराम जाति मेघवाल निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।	बनाम	1.हजारी राम पुत्र श्री फुसाराम 2.चंदाराम पुत्र श्री फुसाराम 3.कोयली पत्नी स्व श्री फुसाराम 4.मांगीलाल पुत्र श्री रावतराम जातियान मेघवाल निवासीगण बागोरिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर। 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भोपालगढ़। 6.प्रबंधक भूमि विकास बैंक बिलाडा जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,पीपाड़ शहर दिनांक 30.09.2003 अन्तर्गत राजस्व वाद सं. 09/2001

यह अपील बतारीख 13/11/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया व रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित एवं रेस्पोडेंट सख्या 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसबब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 13.11.2018 को जारी हो किया गया।

13/11/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

13/11/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर